

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एव राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.दि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैण्ड	ग्रेड पे / मैट्रिक्स लेवल
1	सुमेर सिंह प्रधानाचार्य, खेजड़ा-राजद्वारशहर (धूलू)	15-02-60	11-12-93 H.M.	10-12-13 20 Y	11-12-2013 II	15600-39100	6800
2	खाकीराम भारती प्रधानाचार्य भागेलाल-पीसांगन (अजमेर)	01-04-68	25-07-96 Lec.	24-07-16 20 Y	25-07-18 II दो वा. वेतन वृद्धि रोके जाने के कारण	---	L--17
3	अनिन्दा व्यास बक्षी प्रधानाचार्य, नैणियां-परबतसर (नागौर)	07-07-69	31-07-95 Lec.	30-07-15 20 Y	31-07-15 II	15600-39100	6800

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।

(सौरभ स्वामी)

कार्यपालक
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/2020-21/03

दिनांक 22-6-2020

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर